


Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् प्रेमचंद आदि बनाम मदनलाल आदि वगैरा किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 51/2022

तारीख हुकम जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुकम तारीख व तामिल
22.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार रूक-रूककर आवाजे लगाई। आवाजे लगाने के बावजूद पक्षकार/अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में कोई पक्षकार/अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम् पैरवी अदम हाजरी खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>निर्णय आदिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> शंकुतला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर।</p>	

